

11.02.2020

पत्रावली पेश। वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित।
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई गई।
बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे यह
प्रतीत होता है कि वादी एवं वकील वादी अपने
दावे को लेकर जम्मीर नहीं है अतः दावा
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश-9
(नियम-8) के तहत अदम हाजिरी - अदम
पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है।

पत्रावली फैसल शमार होकर, नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सहायक)

सहायक कलेक्टर एवं न्यायालयिक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रक) साधार (जालोर)

जालोर

जालोर

